न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी खानपुर जिला झालावाड़
(पीठासीन अधिकारी – श्री बी0आर0 विश्नोई आर.ए.एस.)

मिसल नं 645 / दावा / 2017
दायरा दि0 07 / 02 / 2017

उनवान

1. रामकल्याण पुत्र औंकार जाति भील तह0 महुआखेडा तह0 खानपुर
2. लेखराज पुत्र औंकार जाति भील तह0 महुआखेडा तह0 खानपुर
3. रमेशचंद पुत्र औंकार जाति भील तह0 महुआखेडा तह0 खानपुर
4. मुकुटबिहारी पुत्र औंकार जाति भील तह0 महुआखेडा तह0 खानपुर
5. मोत्यांबाई पुत्री औंकार जाति भील तह0 महुआखेडा तह0 खानपुर
6. रशीदनबाई पुत्री औंकार जाति भील तह0 महुआखेडा तह0 खानपुर

—— वादीगण

बनाम्

1. बाबूलाल पुत्र गिरधारी जाति भील निवारी महुआखेडा तह0 खानपुर
2. बद्रीलाल पुत्र गिरधारी जाति भील निवारी महुआखेडा " फौत " का0मु0
   2/1 नंदलाल पुत्र बद्रीलाल जाति भील निवारी महुआखेडा तह0 खानपुर
   2/2 मंजूबाई पुत्री बद्रीलाल जाति भील निवारी महुआखेडा तह0 खानपुर
   2/3 भूरीबाई पुत्री बद्रीलाल जाति भील निवारी महुआखेडा तह0 खानपुर
   2/4 कलावतीबाई उर्फ कलीबाई पुत्री बद्रीलाल जाति भील नि महुआखेडा तह0 खानपुर
   2/5 बबलू पुत्र बद्रीलाल जाति भील निवारी महुआखेडा तह0 खानपुर
3. हजारीलाल पुत्र गिरधारी जाति भील निवारी महुआखेडा तह0 खानपुर
4. कमलाबाई पुत्री गिरधारी जाति भील निवारी महुआखेडा तह0 खानपुर
5. भंवरलाल पुत्र सूरजमल जाति भील निवारी महुआखेडा तह0 खानपुर
6. राधेश्याम पुत्र सूरजमल जाति भील निवारी महुआखेडा तह0 खानपुर
7. मोहनलाल पुत्र सूरजमल जाति भील निवारी महुआखेडा तह0 खानपुर
8. रामप्रसाद पुत्र सूरजमल जाति भील निवारी महुआखेडा तह0 खानपुर
9. सरदार पुत्र सूरजमल जाति भील निवारी महुआखेडा तह0 खानपुर
10. धारासिंह पुत्र सूरजमल जाति भील निवारी महुआखेडा तह0 खानपुर
11. भूरालाल पुत्र सूरजमल जाति भील निवारी महुआखेडा तह0 खानपुर
12. कैलाशबाई पुत्री सूरजमल जाति भील निवारी महुआखेडा तह0 खानपुर
13. सज्जनाबाई बेवा सूरजमल जाति भील निवारी महुआखेडा तह0 खानपुर
14. धन्नालाल पुत्र बाला जाति भील निवारी महुआखेडा तह0 खानपुर
15. गेंदीबाई बेवा कालूसिंह जाति भील निवारी महुआखेडा तह0 खानपुर
16. बजरंगलाल पुत्र कालूसिंह जाति भील निवारी महुआखेडा तह0 खानपुर
17. गंगाराम पुत्र कालूसिंह जाति भील निवारी महुआखेडा तह0 खानपुर
18. धीसीबाई पुत्री कालूसिंह जाति भील निवारी महुआखेडा तह0 खानपुर
19. नायब तहसीलदार खानपुर उप तहसील सारोलाकला तह0 खानपुर
20. पटवारी हल्का अकावदखुर्द तह0 खानपुर
21. भूमि अवाप्ति अधिकारी परवन वृहद्ध सिंचाई परियोजना अकावद सिंचाई विभाग खण्डिया रोड झालावाड
22. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसील सारोलाकलां तह0 खानपुर

– प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92(ए), 188, 209 आर.टी.एक्ट 1955

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
खानपुर (झालावाड)

Scanned by CamScanner

उपस्थित :– श्री संजय गौतम अधिवक्ता – वादी
श्री लक्ष्मण अधिवक्ता –प्रतिवादी

निर्णय

दिनांक 17/01/2018

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं। वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92(ए), 188, 209 आर.टी.एक्ट 1955 के अर्न्तगत इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम हतोला की जमावंदी सं0 2070–73 की खाता सं0 16 की ख0नं0 77 की 1.17 वीघा,ख0नं0 78 की 1.13 वीघा, ख0नं0 79 की 3.05 वीघा आराजी स्थित है। सेटलमेंट से पूर्व जमावंदी सं0 2022–25 में यह आराजी गिरधारी, औंकार पुत्र देव पुत्री चंदन आदि खातेदारों के नाम दर्ज थी। वादीगण के पिता औंकार का नाम भी इस आराजी में दर्ज था। जमावंदी एवं नामा0सं0 22 संलग्न है। सेटलमेंट अधिकारियों ने जमाबंदी बनाते समय वादीगण के पिता औंकार पुत्र चंदन का नाम विना किसी अधिकार, विना किसी आदेश के अपने अधिकारों से परे जाकर हटा दिया है, जिसको दुरूस्त किया जाकर वादीगण का नाम इस आराजी में दर्ज किया जाना आवश्यक है। वादग्रस्त आराजी में खातेदार गिरधारी पुत्र चंदन का हिस्सा 1/3 में वादीगण गिरधारी के भाई औंकार के पुत्र होने से इस आराजी में सम्भाग में खातेदार दर्ज होने के अधिकारी हैं। वादीगण को खातेदार गिरधारी के वारीसान प्रति0 1 लगा0 3 के साथ सम्भाग में खातेदार टीनेंट घोषित किया जावे। वर्णित आराजी शामलाती खाते में दर्ज होने से प्रतिवादीगण के मन में वदयांति आ गई है और आराजी को खुर्द वुर्द करने पर आमादा है और यह आराजी परवन वृहद्ध सिंचाई परियोजना के डूब क्षैत्र में होने से प्रतिवादीगण उक्त आराजी का मुआवजा प्राप्त करने पर आमादा हैं। यदि यह अपने मन्सूबों में कामयाब हो गये तो वादीगण को अपूरणीय क्षति होगी, जिसका आंकलन द्रव्य में भी किया जाना संभव नहीं होगा। इसलिये प्रतिवादीगण को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाना आवश्यक हो गया है। खातेदार गिरधारी फौत हो चुका है, जिसके जायज वारिसान को वाद में प्रतिवादीगण वनाया गया है। वादीगण के पिता औंकार भी फौत हो चुके हैं, जिनके वारीसान द्वारा वाद पेश किया गया हैं। अतः वाद पेश कर निवेदन है कि वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार फरमाया जाकर इस आशय की डिकी सादिर फरमायी जावे कि ग्राम हतोला की ख0नं0 77 की 1.17 वीघा,ख0नं0 78 की 1.13 वीघा, ख0नं0 79 की 3.05 वीघा आराजी में वादीगण को प्रतिवादीगण 1 लगा0 3 के हिस्सा 1/3 में सम्भाग से खातेदार टीनेंट घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। साथ ही प्रतिवादीगण को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किया जावे कि वह वादग्रस्त आराजी को कहीं रहन, वैय, हिब्बा आदि नहीं करें और न ही उक्त आराजी से प्राप्त होने वाले मुआवजे को प्राप्त करें और न ही मुआवजा देवें। ऐसा न तो स्वंय करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधी से ऐसा करावें। अन्य सहायता जो भी माननीय न्यायालय उचित समझें, दिलवायी जावे।

वाद, दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलव किया गया। प्रति0नं0 1, 2, 4 लगा0 19 के वावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गयी। दिनांक 25.10.17 को वादी का प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सी0पी0सी0 स्वीकार कर मृतक खातेदार वद्रीलाल के वारीसान प्रति0 2 लगा0 5 को वाद में पक्षकार वनाया गया। पक्षकारान ने दिनांक 19.05.2017 को न्याय आपके द्वारा केम्प ग्राम पंचायत शिवनगर ढाणी में जर्ये अधिवक्ता उपस्थित होकर लोक अदालत की भावना से आपसी सहमति से इस प्रकार राजीनामा पेश किया कि वादग्रस्त आराजी पूर्वजों के जमाने की शामलाती खाते की है। यह आराजी वादी एवं प्रति0 1 लगा0 10 के पूर्वज चंदना के खाते दर्ज थी। चंदना जी के 3 पुत्र औंकार, गिरधारी व विशना थे, जिनमें से विशना, कंवरिया के यहां दत्तक पुत्र होकर गोद चला गया है और ग्राम हथोला की आराजी में वादी एवं प्रतिवादी 1 लगा0 10 का नाम रेकार्ड में होना चाहिये था, जिसमें सहवन से वादीगण का नाम दर्ज होने से रह गया है। चंदना जी के वैधानिक उत्तराधिकारी औंकार व गिरधारी होने से औंकार के परिवार को प्रति0 1 लगा0 10 के साथ सह खातेदार रेकार्ड में दर्ज कर अमल दरामद किया जावे व सह खातेदार घोषित किया जावे।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
खानपुर (झालावाड़)

Scanned by CamScanner

वाद पर विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि खातेदार चंदना जी के 3 पुत्र औंकार, गिरधारी व बिशना थे, जिसमें से बिशना, कंवरिया के यहां दत्तक पुत्र होकर गोद चला गया। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी में औंकार व गिरधारी के वारीसान का नाम दर्ज होना चाहिये था किन्तु औंकार के वारीसान का नाम सहवन से छूट गया है। हमने राजस्व रेकार्ड की नकलें व राजीनामा पेश किया है। अतः राजीनामा के अनुसार वादीगण को प्रति0 1 लगा0 4 के साथ सह खातेदार टीनेंट घोषित किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी ने अपनी बहस में प्रकट किया कि हमने वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुये लोक अदालत की भावना से राजीनामा पेश कर दिया है। अतः राजीनामें के अनुसार वाद को डिक्री किया जावे।

हमने पत्रावली का ध्यान पूर्वक अध्ययन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। वादीगण ने ग्राम हतोला की ख0नं0 77 की 1.17 बीघा,ख0नं0 78 की 1.13 बीघा, ख0नं0 79 की 3.05 बीघा आराजी में वादीगण को प्रतिवादीगण 1 लगा0 3 के हिस्सा 1/3 में सम्भाग से खातेदार टीनेंट घोषित किये जाने का यह वाद पेश किया है। वादीगण 1 लगा0 6 एवं प्रति0 1, प्रति0 2/1 लगा0 2/5, प्रति0 नं0 3, व 4 ने दिनांक 19.05.17 को लोक अदालत की भावना से आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया है.। ऐसे में न्यायहित में राजीनामा के अनुसार वाद का निर्णय किया जाना उचित है।

अतः वाद, वादी राजीनामा के अनुसार डिक्री किया जाता है तथा ग्राम हतोला की जमाबंदी सं0 2070-73 की खाता सं0 16 की ख0नं0 77 की 1.17 बीघा,ख0नं0 78 की 1.13 बीघा, ख0नं0 79 की 3.05 बीघा कुल 3 किता की 6.15 बीघा आराजी में खातेदार गिरधारी के हिस्से 1/3 में वादीगण 1 लगा0 6 को हिस्सा 1/6 में हि0ब0, प्रति0 नं0 1 को हि0 1/24, प्रति0 2/1 लगा0 2/5 को हि0 1/24 में हि0ब0, प्रति0 नं0 3 को हि0 1/24, प्रति0नं0 4 को हि0 1/24 का खातेदार टीनेंट घोषित किया जाता है। मृतक खातेदार गिरधारी का नाम खाते से खारिज हो। राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करेंगे। इस आशय का डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
खानपुर (झालावाड़)

निर्णय आज दिनांक 17/01/2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
खानपुर (झालावाड़)

Scanned by CamScanner